पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 6920 /अका./का.प./2012 रायपुर, दिनांक 31 /03/2012

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शनिवार, दिनांक 24 मार्च, 2012 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1.	डॉ. शिव कुमार पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. (श्रीमती) आभारुपेन्द्र पाल	–	सदस्य
3.	डॉ. बी. के. शर्मा	–	सदस्य
4.	डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य
5.	डॉ. अरविन्द गिरोलकर	–	सदस्य
6.	डॉ. आर. बाला सुब्रामनियम	–	सदस्य
7.	श्री एस. के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
8.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
9.	श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
10.	श्री अशोक लोहिया	–	सदस्य
11.	श्री देवजी भाई पटेल	–	सदस्य
12.	श्री रामजी भारती	–	सदस्य
13.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	–	सदस्य
14.	श्री के. के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त :

01 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 06.03.2012 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 06.03.2012 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।**

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 06.03.2012 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णयः **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 06.03.2012 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण गई।**

03. विश्वविद्यालय बजट वित्तीय वर्ष 2010–11 का वास्तविक आय–व्यय, 2011–12 का पुनरीक्षित आय–व्यय एवं 2012–13 का अनुमानित आय–व्यय का बजट पर विचार करना।

निर्णयः **वित्त समिति की बैठक दिनांक 01 मार्च 2012 के अनुशंसा में आंशिक संशोधन करने के साथ सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए वित्तिय वर्ष 2012–13 का बजट पारित किया गया।**

04. वर्ष 2012 की परीक्षा के लिये अध्यादेश 5 की धारा 21 (06)(ए) के तहत अनुचित साधन निर्णायक समिति में कार्यपरिषद की ओर से एक सदस्य का नामांकित किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः वर्ष 2012 के परीक्षा के लिए अध्यादेश 5 की धारा 21 (06)(ए) के तहत अनुचित साधन निर्णायक समिति में कार्यपरिषद की ओर से एक सदस्य, डॉ. बी.के. शर्मा, (कार्यपरिषद सदस्य, आचार्य गणित अध्ययनशाला) को नामांकित किया गया।

पूरक विषय सूची

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 23.03.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 23.03.2012 के कार्यवृत्त निम्नलिखित निर्णय के साथ अनुमोदन किया गया :–

(1) एलियंस निजी विश्वविद्यालय बंगलोर से दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट को इस विश्वविद्यालय के मास्टर आफ बिजनेस एडमिनेस्ट्रेशन के समतुल्य मान्य किए जाने के संबंध में अस्थायी पात्रता जारी किया जावे, इसके साथ यू.जी.सी./ए.आई.यू. से पत्र लिखकर जानकारी प्राप्त कर ली जावे।

02. (1) पैरी गंगा महाविद्यालय, मैनपुर (2) छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, मनकी, राजनांदगांव में मुख्य परीक्षा 2012 में सामूहिक नकल प्रकरण के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः पैरी गंगा महाविद्यालय, मैनपुर एवं छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, मनकी, राजनांदगांव में मुख्य परीक्षा 2012 में सामूहिक नकल प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यायल प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। संबंधित महाविद्यालयों का प्रकरण विस्तृत जानकारी के साथ पुनः प्रस्तुत किया जावे।

03. लेखा अधिकारी पद के विरूद्ध श्री बी.सी. बिश्वास को लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के संबंध में।

निर्णयः लेखा अधिकारी पद के विरूद्ध श्री बी.सी. बिश्वास को लेखा अधिकारी के पद पर, उनकी सेवा निवृत्त तिथि 31.03.2012 के पश्चात संविदा वेतन 20880/– प्रति माह या पेंशन माइनस वेतन पर प्रथमतः छः माह के अवधि हेतु नियुक्ति के लिए अनुमोदन किया गया।

04. डॉ. (श्रीमती) एस.ए. भोईते, एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन अध्ययनशाला को दिनांक 08.11.2011 से दिनांक 25.02.2012 तक 110 दिनों का लघुकृत अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः डॉ. (श्रीमती) एस.ए. भोईते, एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन अध्ययनशाला को दिनांक 08.11.2011 से दिनांक 25.02.2012 तक 110 दिनों का लघुकृत अवकाश स्वीकृत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. वार्षिक परीक्षा 2012 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विलंब से प्राप्त लघु शोध के संबंध में विचार करना।

निर्णयः वार्षिक परीक्षा 2012 में अनेक महाविद्यालयों से लघुशोध प्रबंध संबंधित छात्रो के द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करने का कारण बताते हुए अग्रेसित किया जा रहा है। वर्ष 11–12 में ऐसे प्रकरणों पर लधुशोध प्रबंध जमा कराने के संबंध में कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

(1) संबंधित महाविद्यालय को सूचित किया जावे की भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक लघु शोध अग्रेषित करें।

(2) आगामी वर्ष ऐसे प्रकरणों पर परीक्षा प्रारंभ होने के 21 दिन पूर्व तक निःशुल्क एवं परीक्षा प्रारंभ होने के 07 दिन पूर्व तक रू. 2500/– विलंब शुल्क लेकर, लघुशोध जमा कराई जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 6921 /अका./का.प./2012 रायपुर, दिनांक 31/03/2012

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव